

आदेश	कार्यवाही विवरण
०२ २२५	<p>पत्रावली पैत्रा हरी, वकील उद्योगपति उद्योग, पत्रावली का संवर्धन किया गया तथा वस्त्र पर मजदूरी किया गया। पत्रावली पर मौजूद प्रस्तावना तथा डिप्लोमा जिल, पानी खिल, राशन कार्ड, प्रमाण-पत्र गांधी पंचायत मणकसास, जन-साधारण, खेल विकास प्रमाण पत्र, साधारण कार्ड, परिचय पत्र एवं साक्ष्य-पत्र के उपलब्ध से जांचि है। कि वादीका का कस्टी नाम सिनोई पति पञ्चुदयाल शर्मा साह मणकसास है। उपरोक्त विवेक से वादीका सम प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित पति है।</p> <p><u>कोर्ट</u></p> <p>वादीका सम प्रस्तुत वाद-पत्र स्वीकार किया जाना है तथा डिप्लोमा इस आधार की जारी की जाती है कि गांधी मणकसास पं. ६० मणकसास तस्वील उद्योगपति की स्तर में स्थित शरीर वस्त्र नम्बर 564, 2404/612 कुल मिला 2 कुल राश 1:53 00 टैगटर के राजस्व सिनोई से ही वादीका का नाम सिनोई उनी कजासनी जारी कइएगा सा. सिनोई तस्वील नौकामागा जिला सीकर के बजाय सिनोई पति पञ्चुदयाल शर्मा जारी कइएगा साह मणकसास तस्वील उद्योगपति जिला नौकामागा जिला जिला है। वदसुमान, तस्वीलदार उद्योगपति राजस्व सिनोई में</p>

अनुपाल
क्रमांक व
श

कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
<p>उपरोक्त जांच के उपर चस्मा नम्बर ५ के इस इन्फार्म गमावल रहेगे। डिप्लोमा में वंशिक करवाई जाकर शरीर पत्रावली की गई।</p> <p>क्रिये आज दिनांक 02/08/2024 को मेरे उमा तुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली जैमल सुगर मेकर नम्बर से करके मे व वादील दफ्तर हो।</p> <p>उपस्थान अधिकारी बदयपुड्याली (नौकामागा)</p>	